अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकितय वाद सं0– 108 सन् 2015

राजू श्रीवास्तव व अन्य.....वादीगण

बनाम

धर्मनाथ महतो .....प्रतिवादी

दिनांकः–

20.12.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 30.04.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादीगण द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि कुछ आवश्यक कागजात दाखिल किया जा रहा है जो कुछ कारणवश प्रतिवादीगण को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और काफी प्रयास के बाद उपलब्ध हुआ है जिसे वे दाखिल कर रहे हैं और न्यायहित में यह आवश्यक है कि सभी कागजातों को साक्ष्य में लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्तुत आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें वादीगण का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा

दाखिल किया गया आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि कागजात काफी विलंब से दाखिल किए गए हैं जबकि वादी का साक्ष्य काफी पहले बंद हो गया है और वाद प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए चल रहा है और इस कारण प्रतिवादी को अनावश्यक परेशानी होगी और इन कागजातों का जिक्र प्रतिवादीगण द्वारा अपने बयान तहरीरी में नहीं किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि वे कुछ कागजात दाखिल करना चाहते हैं जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं हो पाया था अतः न्यायहित में 500/– रूपये खर्चे के साथ प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24.01.2020

सब जज
सोनपुर सारण।